"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 572] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (1).—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत साजा जिला–बेमेतरा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	09	सतबहनिया वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	05	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	2	शीतला वार्ड
		3	भरतपुर वार्ड
		15	मां कर्मा वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	04	गोकुल धाम वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	महिला वर्ग	01	महाराणा प्रताप वार्ड
		07	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		10	गुरू घासीदास वार्ड
		13	इंदिरा नगर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (1) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-84/2014/18(1).— the list of the Reservation of Wards for Nager Panchayat Saja, Distt. Bemetra is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	09	Satbahniya ward
2.	Scheduled Caste (Female)	Nill	Nill
3.	Scheduled Tribes	05	Chandrashekhar Azad Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	Nill	Nill
5.	Other Backward Class	02	Shitala ward
		03	Bhartpur Ward
		15	Maa Karma Ward
6.	Other Backward Class (Female)	04	Gokul Dham Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Female	01	Maharana Partap Ward
		07	Maharani Laxmibai Ward
		10	Guru Ghashidas Ward
		13	Indira Nagar Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (2).—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत, बेरला जिला–बेमेतरा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	08	गुरू घासीदास वार्ड
		10	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		11	सरदार भगत सिंह वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	09	मिनीमाता वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	04	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	महात्मा गांधी वार्ड
		07	तिलक वार्ड
		15	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	02	इंदिरा गांधी वार्ड
7.	महिला वर्ग	05	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		12	महाराणा प्रताप वार्ड
		14	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (2) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-84/2014/18(2).— the list of the Reservation of Wards for Nager panchayat Berla distt. Bemetra is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	08	Guru Ghasidas Ward
		10	Dr. Rajendra Prasad Ward
		11	Sardar Bhagat Singh Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	09	Mini Mata Ward
3.	Scheduled Tribes	04	Dr. Ambedkar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	Nill	Nill
5.	Other Backward Class	03	Mahatma Gandhi Ward
		07	Tilak Ward
		15	Lal Bahadur Shastri Ward
6.	Other Backward Class (Female)	02	Indira Gandhi Ward
7.	Female	05	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
		12	Maharana Pratap Ward
		14	Maharani Laxmi Bai Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (3).—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत, थानखम्हरिया जिला–बेमेतरा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	01	गुरू घासीदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	13	इंदिरा गांधी वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	09	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	धर्मशाला वार्ड
		08	रानी दुर्गावती वार्ड
		14	भीमराव अम्बेडकर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	मुसलमान वार्ड
7.	महिला वर्ग	03	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		04	गोल बाजार वार्ड
		15	नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (3) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-84/2014/18(3).— the list of the Reservation of Wards for Nager Panchayat Thankhamhriya distt. Bemetra is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	01	Guru Ghasidas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	13	Indira Gandhi Ward
3.	Scheduled Tribes	09	Lal Bahadur Shastri Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	Nill	Nill
5.	Other Backward Class	02	Darmashala Ward
		08	Rani Durgawati Ward
		14	Bhimrao Ambedkar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	Musalman Ward
7.	Female	03	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
		04	Gol Bazar Ward
		15	Netaji Subhash Chandra Bose Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (4).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत, परपोड़ी जिला–बेमेतरा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	03	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	10	शंकर नगर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	मां कर्मा वार्ड
		11	वीर नारायण सिंह वार्ड
		12	कबीर नगर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	15	राम नगर वार्ड
7.	महिला वर्ग	02	इंदिरा वार्ड
		04	आजाद वार्ड
		09	शीतला नगर वार्ड
		14	राजीव नगर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (4) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-84/2014/18(4).—the list of the Reservation of Wards for Nager panchayat Parpodi distt. Bemetra is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	03	Dr. Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	Nill	Nill
3.	Scheduled Tribes	10	Shankar Nagar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	Nill	Nill
5.	Other Backward Class	05	Maa Karma Ward
		11	Veer Narayan Singh Ward
		12	Kabir Nager Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Other Backward Class (Female)	15	Ram Nager Ward
7.	Female	02	Indira Ward
		04	Azad Ward
		09	Shitala Nager Ward
		14	Rajiv Nager Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (5).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत, नवागढ़ जिला–बेमेतरा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	01	गुरू घासीदास वार्ड
		08	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
		09	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	13	मिनीमाता वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	03	बुढ़ादेव वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	स्वामी विवेकानंद वार्ड
		10	संत रविदास वार्ड
		15	तिलक वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	राजीव गांधी वार्ड
7.	महिला वर्ग	02	दीनदयाल वार्ड
		12	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		14	शंकर नगर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (5).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (5) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-84/2014/18(4).— the list of the Reservation of Wards for Nager Panchayat Navagarh distt. Bemetra is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	01	Guru Ghasidas Ward
		08	Dr. Rajendra Prasad Ward
		09	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	13	Minimata Ward
3.	Scheduled Tribes	03	Budhadev Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	Nill	Nill
5.	Other Backward Class	04	Swami Vivekanand Ward
		10	Sant Ravidas Ward
		15	Tilak Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	Rajiv Gandhi Ward
7.	Female	02	Deendayal Ward
		12	Maharani Laxmi Bai Ward
		14	Shankar Nager Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (6).—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत, देवकर जिला–बेमेतरा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	निरंक	निरंक
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	07	बुढ़ादेव वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	03	शितला वार्ड
		04	महात्मा गांधी वार्ड
		10	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	12	राजीव वार्ड
7.	महिला वर्ग	02	रानी दुर्गावती वार्ड
		05	महावीर वार्ड
		14	शिवमंदिर वार्ड
		15	अब्दुल कलाम वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (6) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-84/2014/18(6).— the list of the Reservation of Wards for Nager Panchayat **Devkar distt.** Bemetra is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of **Wards** for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 **mad under** section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section **29-A** of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	Nill	Nill
2.	Scheduled Caste (Female)	Nill	Nill
3.	Scheduled Tribes	07	Budhadev Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	Nill	Nill
5.	Other Backward Class	03	Shitla Ward
		04	Mahatma Gandhi Ward
		10	Chandshekhar Azad Ward
6.	Other Backward Class (Female)	12	Rajiv Ward
7.	Female	02	Rani Durgawati Ward
		05	Mahaveer Ward
		14	Shivmandir Ward
		15	Abdul Kalam Azad Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–84/2014/18(7).— छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पालिका परिषद बेमेतरा, जिला–बेमेतरा के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	01	रामदास वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	09	डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	13	शहीद भगत सिंह वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	**अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)**	निरंक	निरंक
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	6	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
		15	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
		18	माता भद्रकाली वार्ड
6.	**अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)**	12	अग्रसेन वार्ड
		20	कवीर वार्ड
7.	**महिला वर्ग**	08	गुरू गोविंद सिंह वार्ड
		10	रानी लक्ष्मीवाई वार्ड
		11	वावा रामदेव वार्ड
		17	राजीव नगर वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (7).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–1–84/2014/18 (7) दिनांक 07–11–14 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 7th November 2014

NOTIFICATION

No. F-1-84/2014/18(7).— the list of the Reservation of Wards for Municipal Council Bemetra distt. Bemetra is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Scheduled Caste	01	Ramdas Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	09	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
3.	Scheduled Tribes	13	Shahid Bhagat Singh Ward

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Scheduled Tribes (Female)	Nill	Nill
5.	Other Backward Class	06	Chandrashekhar Azad Ward
		15	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
		18	Mata Bhadrakali Ward
6.	Other Backward Class (Female)	12	Agrasen Ward
		20	Kabir Ward
7.	Female	08	Guru Govind Singh Ward
		10	Rani Laxmibai Ward
		11	Baba Ramdev Ward
		17	Rajiv Nagar Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

[illegible] संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.